jk"Vªh; turkaf=d xBca/ku

ubZ fnYyh] 28 vizSy] 2005

Hkkjr ds jk"Vªifr th dks Kkiu

egkefge }kjk ljdkj dks] dsUnzh; eaf=e.My ls jsyeaf=h Jh ykyw ;kno dks fudkyus dh lykg nsus dk vkxzg rkfd ljdkj ds Hkz"Vkpkj vkSj vijk/khdj.k ds fo#) ,d fgrdkjh dne mBk;k tk ldsA

महामहिम राष्ट्रपतिजी,

हम, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रतिनिधि आपके सम्मुख निम्नलिखित ज्ञापन प्रस्तुत करने को बाध्य हुए हैं। गहन वेदना और भारतीय लोकतांत्रिक पद्धति के प्रति हमारी जिम्मेदारी की भावना ने हमको ऐसा करने को प्रेरित किया है।

आपको स्मरण होगा कि गत् 3 जून 2004 को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनने के तुरंत पश्चात् राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों ने, केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में ऐसे व्यक्तियों जिनके विरूद्ध आरोप पत्र दायर हो चुके हैं या जो भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामलों, तथा सत्ता के दुरुपयोग अथवा घृणित अपराधों में फंसे हैं, को शामिल किए जाने के विरूद्ध राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया था। उस दिन आपको सौंपे गए ज्ञापन (जिसकी प्रति संलग्न है) में, महामहिमजी आपको स्मरण होगा कि हमने आग्रह किया था कि ''आप इस मुद्दे पर आदरणीय प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह से चर्चा कर संसदीय लोकतंत्र, सार्वजनिक हित, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सार्वजनिक जीवन में शुचिता के मानदण्डों के व्यापक हितों में ऐसे व्यक्तियों को सरकार से बाहर करना सुनिश्चित करवाएं''।

तब से लेकर राजग, संप्रग सरकार में दागी मंत्रियों का मुद्दा संसद के भीतर और बाहर विभिन्न सार्वजनिक मंचों से उठता आ रहा है। यह हमारा प्रयास रहा है कि देश के सही सोच रखने वाले सभी लोगों की भावनाओं को मुखरित करें कि दागी मंत्रियों का केन्द्र सरकार में शामिल होना सिर्फ स्वार्थ से उपजी राजीतिक अनुपयुक्कता नहीं अपितु यह नैतिक पाप का भी मामला है, जिससे स्वतंत्र भारत में पहली बार **vijk/khdj.k dks dsUnz esa 'kklu dk vax cuk fn;k x;k gSA**

सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने तीन दिन पहले रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध कुख्यात चारा घोटाला मामले में आरोप निर्धारित किए थे। यह मामला

उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। उस समय उन्होंने धोखा देकर चाईबासा खजाने से 37 करोड़ रुपए जाली रसीदों के आधार पर चारे के लिए निकाले थे, जबकि वहां पर चारा था ही नहीं। पहली बार जब इस घोटाले का भंडा फूटा तब अनेक विपक्षी दलों ने जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, श्री यादव से इस्तीफा देने की मांग की किन्तु उन्होंने उसी हेकड़ी के साथ मना कर दिया, जिस प्रकार वे आज भी मना कर रहे हैं। तथापि 25, जुलाई 1997 को उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जब उच्चतम न्यायालय ने डीए के मामले में उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी नामंजूर करते हुए उन्हें समर्पण करने का आदेश (यह मामला भी चारा घोटाले का ही एक अंग था) दिया था।

उस मामले में श्री यादव पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने उनकी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात में अधिक सम्पति जमा कर ली हैं। डीए मामले की तुलना में अब रांची के न्यायालय ने श्री यादव के विरुद्ध मामला (आर.सी. 20 (ए) 1996 तथा आर.सी. 68(ए) 1996) ''जाली और फर्जी'' बिलों के आधार पर जिन्हें बिहार सरकार के पशुपालन विभाग ने जारी किया था, करोड़ों रुपयों को धोखा देकर सरकारी खजाने से कपटपूर्ण तरीके से निकाल लिया था, यह एक बहुत गंभीर प्रकार का मामला है। उदाहरणार्थ न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 (बी) के अन्तर्गत **¼vkijkf/kd "kM;= d fy, n.M½]** धारा 420 **¼/kk[kk nuk rFkk cbekuh l iHkko Mkydj lEifr lki nuk½]** धारा 467 **¼cgeY; flD;fjVh] fcy bR;kfn dh tkylkth djuk½]** धारा 468 **¼/kk[k d mnn'; l tkylkth djuk½]** धारा 471 **¼Qth nLrkot dk vlyh d :i e mi;kx djuk½** धारा 477 (ए) **¼y[kk e tkylkth djuk½** जिसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) तथा धारा 13 (1) (डी) के साथ पढ़ा जाए।

यह बात स्मरणीय है कि 1996 में पटना उच्च न्यायालय ने सी.बी.आई. को चारा घोटाला मामलों को सौंपते हुए यह उल्लेख किया था: ''कि राज्य सरकार को निश्चित रूप से अधिक धन निकासी की जानकारी थी, फिर भी उसने किसी भी प्रकार की कोई उपचारी कार्रवाई नहीं की''। उच्चतम न्यायालय ने भी पटना उच्च न्यायालय के निर्देश कि मामला जांच के लिए सी.बी.आई. के सुपुर्द कर दिया जाए, को स्वीकार करते हुए यह निर्देश दिया था कि ''इस मामले में अनुवर्ती कार्रवाई शीघ्रता से किए जाने की आवश्यकता है जिससे की कोई भी साक्ष्य नष्ट न किया जा सके।

इस संदर्भ में हम अप्रैल 26, को बिहार के राज्यपाल श्री बूटासिंह द्वारा आरजेडी सरकारों के प्रमुख श्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी के विरुद्ध असामान्य आलोचनात्मक टिप्पणी की गई : ''पहले प्रशासन किसी प्रशासनिक तंत्र के आधार पर नहीं चलाया जा रहा था। यह किसी संविधान या नियमावली के आधार पर भी नहीं चलाया जा रहा था।''

यह तथ्य सभी को विदित है कि श्री यादव गत आठ वर्षों से कानून के लम्बे हाथों से बच निकलने का प्रयास कर रहे थे। तथापि जबसे उन्होंने सप्रंग सरकार में मई 2004 में मंत्री का पदभार संभाला हैं तब यह झकझोर देने वाली बात है कि उन्हें सरकार में प्राधिकार को स्वतंत्रतापूर्वक दुरुपयोग करने का पूरा–पूरा समर्थन सप्रंग सरकार द्वारा मिल रहा हैं और उनके राजनीतिक प्रभाव को कानूनी कार्रवाई को तोड़–मरोड़ करने की खुली छूट दे दी है। इस सबका केवल एक ही उद्देश्य है कि उन्हें इन मामलों से मुक्ति दिला दी जाए। यह प्रयास कितने निर्लज्जतापूर्ण हैं कि 26 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय को इन प्रयासों, जिस प्रकार श्री यादव और उनकी पत्नी के विरुद्ध आयकर के मामले चलाए जा रहे हैं, के लिए मजबूरन कटु आलोचना करनी पड़ीं। पहले भी उच्चतम न्यायालय ने सप्रंग सरकार के उन प्रयासों की कटु आलोचना की थी जिसमें सत्ता दल तथा उसमें सम्मिलित दलों के व्यक्तियों के विरुद्ध चल रहे मामलों में सी.बी.आई. को प्रभावित करने का प्रयास किया था।

श्री यादव को इस्तीफा देने के संबंध में हमारी मांग को सत्तापक्ष के गठबंधन ने आधारहीन तर्कों का सहारा लेकर विरोध किया है। उनमें से एक है राजग सरकार में कुछ मंत्रियों के विरुद्ध अयोध्या मामले का उदाहरण दिया गया है। विशाल जनांदोलन से प्रारंभ हुए मामलों की तुलना भ्रष्टाचार, घृणित अपराध और सत्ता के दुरुपयोग के साथ करना कपटपूर्ण है और उस पर विस्तार से कुछ कहने का कोई औचित्य नहीं है।

जहां तक भ्रष्टाचार के आरोपी मंत्रियों का संबंध है, हम यहां उल्लेख करना चाहेंगे कि राजग तथा सप्रंग सरकारों के दृष्टिकोण में विरोधाभास है। 1998 तथा 2004 के मध्य की अवधि में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उच्च कोटि की सत्यनिष्ठा बनाए रखते हुए जब श्री बूटा सिंह के विरुद्ध आरोप लगाए गए थे तब उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा था। इसी प्रकार की कार्रवाई तब की गई थी जब श्री मुथैया, श्री हरिन पाठक, श्री जिंजी रामचन्द्रन तथा श्री दिलीप सिंह जूदेव के विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई प्रारंभ हुई थी।

इससे पहले भी जब श्री लालकृष्ण आडवाणी के विरुद्ध जैन हवाला केस में आरोप तय किए गए थे तब भी श्री आडवाणी ने समय गंवाए बिना न केवल लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता के पद से त्यागपत्र दिया था बल्कि स्वयं संसद से भी त्यागपत्र दे दिया था। उन्होंने संसद में तब तक प्रवेश न करने की प्रतिज्ञा की थी जब तक वे पूरी तरह उन आरोपों से मुक्त नहीं हो जाते हैं। इसी प्रकार श्री यशवन्त सिन्हा ने भी बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता पद से तथा विधानसभा की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया था। श्री मदनलाल खुराना ने भी अपने विरुद्ध आरोप तय होते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था। यह उल्लेखनीय है कि कि जैन हवाला केस में उक्त तीनों नेताओं को आरोपमुक्त किया गया था।

कोई भी न्यायप्रिय व्यक्ति संप्रग सरकार के सत्ता में आने के समय से ही भ्रष्टाचार और अपराधीकरण के मामलों के प्रति सरकार के रवैये में हुए पतन को देख

सकता है। हमारे गणराज्य के इतिहास में कभी भी गंभीर अपराधों के दागदार व्यक्तियों को केन्द्रीय मत्रिमंडल में अपनी लगातार उपस्थिति से भारत सरकार के स्वच्छ नाम को कंलकित करने की अनुमति नहीं दी गई थी। इन दागी मंत्रियों में श्री यादव का अनोखा स्थान है जिनका राजनीतिक जीवन अपराधिता के दागों से भरा पड़ा है तथा जिन्होंने लोकतंत्र के मानकों के विरुद्ध समय—समय पर अपनी हठधार्मिता का परिचय दिया।

ge i/kkue=h dk viu mPp in dk bl idkj dyfdr dju dk nk"kh ekur g fd igy rk mUgku dUnh; ljdkj e vijk/kh rRok dk 'kkfey fd;k vkj vc jkph fLFkr lh-ch-vkb- dh fo'k"k U;k;ky; }kjk Jh ;kno d fo#) vkjki r; dju d ckn Hkh mUg dUnh; ef=eMy e 'kkfey j[ku dk vleFkuh; cpko dj jg gA

हो सकता है कि प्रधानमंत्री का राजनीति के अपराधीकरण पर अधिक नियंत्रण न हो जिसके कारण दुर्भाग्य से आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति भी संसद सदस्य के रूप में चुन लिया जाता है। किन्तु उनके पास ऐसे व्यक्तियों को अपनी मंत्रिपरिषद में शामिल न करने का पूर्ण तथा निर्बाध विशेषाधिकार है; साथ ही नैतिक बाध्यता भी है।

आदरणीय राष्ट्रपतिजी! आप भारत के राज्याध्यक्ष हैं और संविधान के संरक्षक भी हैं। हम आपके पास इस इच्छा से उपस्थित हुए हैं कि आप इस गंभीर मामले में हस्तक्षेप करें क्योंकि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल से श्री लालू प्रसाद यादव के त्यागपत्र की हमारी मांग के बारे में आंख और कान दोनों बन्द कर लिए हैं। तीन दिन के लिए संसद के बहिष्कार करने के हमारे निर्णय, एक ऐसा निर्णय जो हमने बहुत ही अनिच्छा से किया है — के प्रति भी ऐसी संवेदनहीनता तथा कठोरता बरती गई है, जो संप्रग सरकार के प्रतिपक्ष के प्रति रवैये का एक पुख्ता प्रमाण बन गई है।

आप उन उच्चादर्शों के परम संरक्षक हैं जो भारत गणराज्य के आधार हैं। इसी नाते हमारा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप प्रधानमंत्रीजी को श्री यादव को अविलम्ब अपने मंत्रिमंडल से हटाने का परामर्श दें।

महामहिम राष्ट्रपतिजी! हम इस अवसर पर संप्रग सरकार के शुरू से ही टकराव भरे और शत्रुतापूर्ण रवैये की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं। यहां इसके कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं:

- राजग सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपालों को जिस तरीके से हटाया गया।
- राजग संयोजक और पूर्व रक्षा मंत्री श्री जार्ज फर्नांडीस को जिस तरह निशाना बनाया गया और अपमानित किया गया जोकि सरकार के दूसरा शपथ—पत्र दायर करने के असाधारण निर्णय से स्पष्ट है; यह रक्षा खरीदों के मामले में

केवल पन्द्रह दिन पूर्व दायर किए गए अपने पहले शपथ–पत्र का खंडन करता है।

- जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और इसके मित्र दलों के सदस्यों के विरुद्ध केस वापस लिए जा रहे हैं अथवा तोड़े–मरोड़े जा रहे हैं और जिस तरीके से राजग सदस्यों के बारे में मामले पुनः खोले जा रहे हैं।

- जिस तरीके से गोवा में भाजपा सरकार को अस्थिर बनाया गया था।

- जिस तरीके से झारखण्ड में गैर–राजग सरकार को विधानभा में बहुमत न होने पर भी स्थापित करने के प्रयास किए गए।

- विभिन्न योजनाओं और स्थानों (जैसे हवाई अड्डे) का नाम इस ढंग से बदला जा रहा है ताकि सत्तारूढ़ दल और उसके परिवारवादी नेतृत्व को लाभ पहुंचे।

संप्रग सरकार के इस क्षुद्र मानसिकता वाले कदमों की लम्बी सूची में ताजा घटना पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात करने के प्रयासों से कथित तौर पर रोकने की है। जब नई दिल्ली की यात्रा पर आए पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने श्री वाजपेयी से मुलाकात पर जोर दिया तब उन्हें श्री वाजपेयी के निवास पर मुलाकात न करने की सलाह दी गई। इसके लिए 'प्रोटाकॉल' की दुहाई दी गई। यह बात अलग है कि राष्ट्रपति मुशर्रफ श्री वाजपेयी से उनके निवास पर मिलने पहुंचे। यद्यपि ऐसे अनेक अशोभनीय मामलों में सप्रंग सरकार के बारे में जितना भी कहा जाए कम है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी राष्ट्रपति को ऐसे व्यक्ति से मिलने से रोकने की कोशिश की जिसके साहसी और संजीदा कदमों ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सामान्यीकरण का मार्ग प्रशस्त किया।

****

महामहिम राष्ट्रपतिजी, यह सभी कदम और प्रधानमंत्री द्वारा श्री लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध गंभीर अभियोग पत्र दायर करने के निर्देश के बाद भी उन्हें न हटाने की घोषणा करना – एक ऐसी राजनीतिक मानसिकता और शासन संस्कृति की ओर इंगित करता है जो कि लोकतांत्रिक सिद्धान्तों तथा हमारे राष्ट्र के महत्वपूर्ण हितों के विपरीत हैं। इसलिए, इस नाजुक घड़ी में हम, इससे पहले कि सरकार हमारे लोकतंत्र को कलुषित करे और कानून के शासन की धज्जियां उड़ाए, राष्ट्रपतिजी के प्रभावी हस्तक्षेप की प्रार्थना करते हैं।

हस्ताक्षर